प्राप्त 29.04.14

42

प्रेषक

महानिदेशक
परिवार कल्याण महानिदेशालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

1160 25-4-14

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः प0क0/13/एन0यू0एच0एम0/अरबन पी.एच.सी./2013–14/ दिनांकः 25 अप्रैल 2014

विषयः **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 एंव शासनादेश के अनुरुप नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु किराये के भवनों का स्थल चिन्हीकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्याः प0क0/13/एन.यू.एच.एम./अरबन पी.एच.सी./स्थापना/2013–14/6342–75 दिनांकः 03 जनवरी 2014, पत्र संख्याः प0क0/13/एन.यू.एच.एम./अरबन पी.एच.सी./2013–14/6472–75 दिनांकः 29 जनवरी 2014 एंव पत्र संख्याः प0क0/13/एन.यू.एच.एम./पी.आई.पी.–आर.ओ.पी./2013–14/6728–75 दिनांकः 25 फरवरी 2014 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर.ओ.पी. एंव शासनादेश के अनुरुप मानक के अनुसार नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु मलिन बस्ती में या उसके नजदीक किराये के भवनों का स्थल चिन्हीकरण की सूचना से शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त पत्र दिनांक 29 जनवरी 2014 द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि डा0 सारिका मोहन, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–9 के पत्र संख्याः 1915/पांच–9–2013–9(249)/13 दिनांकः 16 जनवरी 2014 एंव शासन के पत्र संख्याः 1747/पांच–9–13–9(249)/13 दिनांकः 04.10.2013 एंव मुख्य सचिव उ0प्र0 के निर्देश के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण एंव वक्फ अनुभाग–3 के पत्र संख्याः 1533/52–3–2013–सा(30)/13 दिनांकः 24.08.2013 द्वारा दिये गये निर्देश **"नये स्थापित होने वाले अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर उसमें शासनादेश दिनांक 24.08.2013 की व्यवस्थानुसार अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 20 प्रतिशत अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले क्षेत्रों/विकास खण्डों में स्थापित कराया जाना सुनिश्चित करें"** की व्यवस्थानुसार अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने हेतु स्थल चिन्हीकरण की सूचना प्राथमिकता के साथ शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में खेद के साथ कहना है कि अभी तक आपके जनपद से स्थापित होने वाले नये अरबन पी0एच0सी0 हेतु मानक के अनुसार किराये के भवनों का स्थल चिन्हीकरण से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है जिस पर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 द्वारा दिनांकः 18 अप्रैल 2014 को हुयी बैठक में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गयी कि प्रत्येक दशा में 05 मई 2014 से पूर्व किराये के भवनो का स्थल चिन्हीकरण से संबंधित प्रस्ताव जनपदो से मंगवाकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाये।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 की अनुमोदित आर0ओ0पी0 एंव शासनादेश दिनांक 24.08.2013 की व्यवस्थानुसार आपके जनपद में नये स्थापित होने वाले अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु मानक के अनुसार स्थल चिन्हीकरण की सूचना आज ही ई–मेल jdurbanfw@gmail.com पर अथवा विशेष पत्र वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि अग्रेतर कार्यवाही हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में आप स्वंय उत्तरदायी होगें।

GM (UH)

भवदीय

(कैलाश कुशवाहा)
महानिदेशक

पत्रांकः प0क0/13/एन0यू0एच0एम0/अरबन पी.एच.सी./2013–14/ 7119-21 तद्दिनांकः 25.4.2014

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना ससमय भिजवाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करे।
4. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

24.4.14

(कैलाश कुशवाहा)
महानिदेशक